राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

(श्रम विभाग)

5 शाम नाथ मार्ग, दिल्ली–110054

अतारांकित प्रश्न संख्या : 172
दिनांक : 21 मार्च, 2018
प्रश्नकर्ता का नाम : श्री सोमनाथ भारती

	प्रश्न		उत्तर
क	क्या दिल्ली में प्रत्येक निर्माण स्थल पर लागू होने वाले श्रम नियमों का पालन हो रहा है,		जी नहीं , जब–जब श्रम प्रावधानों के उल्लंघनों संबंधित शिकायत प्राप्त होती है तो श्रम विभाग के जिला अधिकारियों द्वारा भिन्न–भिन्न श्रम प्रावधानों के अंतर्गत उल्लंघनकर्ता प्रबंधकों के विरूद्ध चालान / प्रोसिक्यूशन मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रेषित किये जाते हैं ।
ख	आप सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी संबंधी नियम का उल्लंघन करने के लिए कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं,		पिछले छह महीनों में सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी संबंधी नियम का उल्लंघन करने से संबंधित कुल 1569 शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।
ग	क्या देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक श्रमिकों के लिए दिल्ली सरकार के रेस्ट हाउस हैं,		जी हाँ, यह सुविधा शिमला–हिमाचल प्रदेश, इलाहाबाद–उत्तर प्रदेश में उपलब्ध है ।
घ	यदि हां, तो उनकी सूची प्रदान करें तथा उनको बुक कराने के लिए आवश्यक नियम, शर्तें व प्रकिया क्या है,		दिल्ली में कार्यरत औद्योगिक श्रमिकों के लिए – न्यू शिमला एवं इलाहाबाद सिविल लाईन में दिल्ली सरकार द्वारा संचालित होलीडे होम हैं । औद्योगिक श्रमिक निर्धारित फार्म जो कि दिल्ली लेबर वैलफेयर बोर्ड की वेबसाईट पर उपलब्ध है, को भरकर अपने नियोक्ता से प्रमाणित करवाता है एवं बोर्ड में निर्धारित शुल्क 750/– रुपये प्रतिदिन शिमला के लिए एवं 250/– रुपये प्रतिदिन इलाहाबाद के लिए जमा करवाता है ।
ड़	कुशल/अर्धकुशल/अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मज़दूरी निर्धारित किए जाने की क्या प्रक्रिया है,		कुशल/अर्धकुशल/अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 5 के अंतर्गत न्यूनतम वेतन सलाहकार समिति का गठन माननीय उपराज्यपाल महोदय की स्वीकृति के पश्चात किया जाता है, ये समिति न्यूनतम वेतन संबंधित मूल मापदंडों के आधार पर वेतन बढ़ोतरी का मूल्याकंण करती है एवं सरकार को वेतन बढ़ोतरी संबधित सिफारिशें भेजती हैं । इन सिफारिशों को माननीय उपराज्यपाल की स्वीकृति के पश्चात राजपत्र जारी करने के पश्चात आदेश द्वारा लागू किया जाता है । इसके अतिरिक्त श्रम विभाग द्वारा महंगाई भत्ते को हर छह मासिक अवधि पर मूल्य सूचकांक के आधार पर बढ़ाया जाता है ।
च	कर्मचारियों के विवादों को छह महीने या उससे भी कम अवधि में सुलझाने के लिए क्या सरकार का कोई प्रस्ताव है,		कर्मचारी क्षति पूर्ति अधिनियम 1923 व औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में विवाद / दावा निपटाने हेतु समय सीमा दी गयी है, सभी जिला श्रम अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि वह उक्त दोनों ही अधिनियमों के अंतर्गत निर्धारित समय सीमा में ही विवादों / दावों का निपटान करें ।

SANJAY KUMAR SAXENA
Secretary (Labour)

			इसके अतिरिक्त उन्हें अन्य श्रम प्रावधानों के अंतर्गत प्राप्त विवाद / दावे भी समयवद्ध सीमा में निपटान करने के आदेश दिये गये हैं ।
छ	औद्योगिक विवादों के शीघ्र निपटान के लिए स्मार्ट कोर्ट स्थापित करने की क्या सरकार का कोई प्रस्ताव है,		श्रम विभाग के सुझाव के आधार पर माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा द्वारका स्थित एक श्रमिक कोर्ट को पॉयलेट प्रोजेक्ट के रूप में जुलाई 2017 से औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत लगाये गये विवादों में विलम्बों को दूर करने के लिए एक पॉयलेट कोर्ट / विशेष कोर्ट बनाया गया है, इस श्रम न्यायालय में श्रम विभाग के सैन्ट्रल डिस्ट्रिक्ट के सभी अनसुलझे विवादों को भेजा जाता है, जिसमें समयवद्ध सीमा में श्रम न्यायालय द्वारा फैसले दिये जाते हैं ।
ज	यदि हां, तो उसका पूरा ब्यौरा क्या है?		श्रम न्यायालय कोर्ट संख्या 17, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री उमेद सिंह ग्रेवाल हैं और यह श्रम न्यायालय द्वारका में स्थित है ।

हस्ताक्षर

(विभागाध्यक्ष)

SANJAY KUMAR SAXENA
Secretary (Labour)